

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जनवरी 2018—पौष 22, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2018

क्र. डी-15-7-2018-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 जून 1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति शाजापुर के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

स्थान

ग्राम गुलाना (खण्डेरिया), तहसील गुलाना, जिला शाजापुर के निम्नलिखित खसरा क्रमांकों का कुल रक्का 6.160 हेक्टर भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	365	6.160
		योग . . <u>6.160</u>

जिसकी सीमाएं

पूर्व में—शाहबुद्दीन की भूमि.

पश्चिम में—गुलाना से खण्डेरिया—धतुरिया मार्ग.

उत्तर में—शासकीय भूमि कांकड़.

दक्षिण में—मुकेश गोपाल पाटीदार की कृषि भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2018

क्र. डी-15-7-2018-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 12th January 2018

No. D-15-7-2018-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that the following places including all structures, enclosure, open places or locality in the Shajapur market area for which a market at has been established *vide* this Department's Notification even No. dated 9th June 1953 shall be sub-market yard, namely:—

PLACE

An area area of 6.160 Hectars land of below mentioned Khasra number at Gulana (Khanderiya) in Gulana Tehsil of Shajapur District :—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hectare's)
(1)	(2)	(3)
1	365	6.160
Total . .		6.160

BOUNDED BY

On the East by—Land of Shahbudeen

On the West by—Gulana (Khanderiya)-Dhaturiya Road.

On the North by—Government's land.

On the South by— Land of Gopal, Mukesh Patidar.

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2018

क्र. डी-15-7-2018-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 12 जनवरी 2018 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र शाजापुर, जिला शाजापुर के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

(1) ग्राम पंचायत गुलाना (खण्डेरिया) तहसील गुलाना, जिला शाजापुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।

(2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

1. गुलाना (खण्डेरिया), 2. सलसलाई, 3. बोलाई, 4. मोचीखेड़ी, 5. सकतखेड़ी, 6. इमलीखेड़ा, 7. जलोदा, 8. वजीरपुर,
9. दास्ताखेड़ी, 10. धतुरिया, 11. कुडाना, 12. कोहडिया, 13. मोमनपुर, 14. बाड़ीगांव, 15. मदाना, 16. तिंगजपुर,
17. कोदारेला।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2018

क्र. डी-15-7-2018-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंब्यक अधिसूचना, दिनांक 12 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

Bhopal, the 12th January 2018

No. D-15-7-2018-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard declare *vide* this department's notification even number dated 12th January 2018 the following area of Shajapur of District Shajapur shall be sub-market yard, namely:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Gulana (Khanderiya) in Tehsil Gulana of District Shajapur.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the sub-market yard, namely.
 1. Gulana (Khanderiya), 2. Salsalai, 3. Bolai, 4. Mochikhedi, 5. Sakatkheri, 6. Imlikheda, 7. Jaloda, 8. Vajeerpur, 9. Dastakhedi, 10. Dhaturiya, 11. Kudana, 12. Kohadiya, 13. Momanpur, 14. Badigawon, 15. Madana, 16. Tingajpur, 17. Kodarela.

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.